



रेस्टोरेन्ट की आड़ में चल रहा था हुक्काबार

-थाना स्वरूपनगर पुलिस ने की कारवाई

-हुक्का के फ्लेवर व अन्य सामान बरामद

-चार अभियुक्तों को पुलिस ने दबोच भेजा जेल

कानपुर: स्वरूप नगर क्षेत्र में रेस्टोरेन्ट की आड़ में चल रहे दो हुक्काबार पर थाना स्वरूपनगर पुलिस ने छापामार काफी मात्रा में हुक्का के फ्लेवर व अन्य सामान भी बरामद हुआ। स्वरूप नगर स्थित दा सेन्ट्रल कोटयाड़ और सुरु रेस्टोरेन्ट में हुई पुलिस कारवाई से वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने दोनों रेस्टोरेन्ट पर कारवाई करके चार लोगों को दबोचा और जेल भेज दिया।

पहली कारवाई दा सेन्ट्रल कोटयाड़ रेस्टोरेन्ट में की गई। कारवाई के दौरान कैफे के अन्दर मैनेजर अंकुर सिंह पुत्र स्व. हरीदेव सिंह उम्र करीब 29 वर्ष निवासी श्रीनगर शुक्लागंज PS गंगाघाट जिला उन्नाव मिला। दो वेटर जिनकी पहचान कपिल वर्मा पुत्र विजय वर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी 198 साहबनगर PS कल्याणपुर और तुषार सिंह चौहान पुत्र स्व हरीश चन्द्र चौहान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी 06/26 नगर महापालिका कालोनी दादानगर PS गोविन्दनगर कानपुर के रूप में हुई। पुलिस कारवाई के दौरान अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ 01 नाबालिक बच्चा भी हुक्का का सेवन कर रहा था। हुक्का चलाने का लाइसेन्स माँगा गया तो वह भी नहीं दिखा पाए। मौके से 04 हुक्का मय 04 पाईप मय 12 अदद बन्द तम्बाकू फ्लेवर पैकेट मय 05 अदद खुले तम्बाकू फ्लेवर पैकेट को मौके पर बरामद किये गये। पुलिस ने मु0अ0सं0 1158/2022, धारा 269/270/188 IPC , व धारा 3 महामारी अधि0 1897, धारा 51 उ0प्र0 आपदा प्रबंधन अधि0 2005, व धारा 4/6 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन पूर्ति केंद्र व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रायम और वितरण का विनयन अधि0 2003 व धारा 77 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2015 पंजीकृत किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी कारवाई रेडियंस टावर के सामने सुरु रेस्टोरेन्ट में हुई। कैफे के अन्दर कैफे मालिक सागर सिंह चौहान पुत्र श्री रविन्द्र सिंह चौहान निवासी 8/150 आर्य नगर थाना स्वरूप नगर उम्र करीब 28 वर्ष मौजूद मिला एवं कैफे में हुक्का चल रहा था जिसमें अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ 02 नाबालिक बच्चे भी हुक्का का सेवन कर रहे थे। इनके पास भी हुक्का चलाने का लाइसेन्स नहीं मिला। मौके से 10 हुक्का मय 10 पाईप मय 14 अदद बन्द तम्बाकू फ्लेवर पैकेट मय 08 अदद खुले तम्बाकू फ्लेवर पैकेट को मौके पर बरामद किये गये। पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0 160/2022, धारा 269/270/188 IPC , व धारा 3 महामारी अधि0 1897, धारा 51 उ0प्र0 आपदा प्रबंधन अधि0 2005, व धारा 4/6 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन पूर्ति केंद्र व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रायम और वितरण का विनयन अधि0 2003 व धारा 77 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2015 पंजीकृत किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त :-

1. अंकुर सिंह पुत्र स्व हरीदेव सिंह उम्र करीब 29 वर्ष निवासी श्रीनगर शुक्लागंज PS गंगाघाट जिला उन्नाव
2. कपिल वर्मा पुत्र विजय वर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी 198 साहबनगर PS कल्याणपुर कानपुर नगर
3. तुषार सिंह चौहान पुत्र स्व हरीश चन्द्र चौहान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी 06/26 नगर महापालिका कालोनी दादानगर PS गोविन्दनगर कानपुर नगर
4. सागर सिंह चौहान पुत्र श्री रविन्द्र सिंह चौहान निवासी 8/150 आर्य नगर थाना स्वरूप नगर उम्र करीब 28 वर्ष